



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102021-230493
CG-DL-E-19102021-230493

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 593]
No. 593]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

सहकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 736(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 26) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सा.का.नि. 427(अ), तारीख 1 जुलाई, 2020 द्वारा प्रकाशित कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में, --

(क) क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:--

“1. सचिव, सहकारिता मंत्रालय — अध्यक्ष”;

(ख) क्रम संख्यांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:--

“2. विशेष सचिव या अपर सचिव (राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम का भारसाधक), सहकारिता मंत्रालय — उपाध्यक्ष”;

(ग) क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:--

“4. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, सहकारिता मंत्रालय — सदस्य”;

(घ) क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:--

“5. संयुक्त सचिव (राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम का भारसाधक), सहकारिता मंत्रालय — विशेष आमंत्रिती”।

[फा. सं. एल-12011/1/2021-आईएंडपी]

अभय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 427(अ), तारीख 1 जुलाई, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF COOPERATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2021

G.S.R. 736(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 10 of the National Co-operative Development Corporation Act, 1962 (26 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare) published vide **G.S.R. 427 (E) dated 1st July, 2020**, namely:-

In the said notification, -

(a) For serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“1. Secretary, Ministry of Cooperation – Chairman”;

(b) For serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“2. Special Secretary or additional Secretary (in charge of National Cooperative Development Corporation), Ministry of Cooperation – Vice Chairman”;

(c) For serial number 4, the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“4. Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Cooperation – Member”;

(d) For serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“5. Joint Secretary (In charge of the National Cooperative Development Corporation), Ministry of Cooperation – Special Invitee”.

[F. No. L-12011/1/2021-I&P]

ABHAY KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 427 (E) dated 1st July, 2020.